सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 28.03.2025

सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना बिठौली पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.03.2025 को वादी उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा नियुक्ति थाना बिठौली द्वारा थाना बिठौली पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि जब वह एनसीआर/विवेचना/आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की जाँच करने प्रतिवादी जयवीर व दलवीर से पूछताछ कर रहे थे इसी दौरान जयवीर (H.S 17A) द्वारा अपने अन्य 04-05 व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये वादी व अन्य हमराही गणों के साथ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की नियत से आटा चक्की का पत्थर सिर पर मार दिया जिससे वह घायल हो गये । सूचना पर तत्काल थाना बिठौली पर **मु0अ0सं0 03/2025 धारा 121(1)/221/132/115(2)/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/109 बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.03.2025 को थाना बिठौली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर गस्त की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 03/2025 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों दीपू पुत्र जयवीर सिंह 2. कल्लू पुत्र बेताल सिंह को गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. दीपू पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम पहलन थाना बिठौली जनपद इटावा।
2. कल्लू पुत्र बेताल सिंह निवासी ग्राम पहलन थाना बिठौली जनपद इटावा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 03/2025 धारा 121(1)/221/132/115(2)/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/109 बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट थाना बिठौली जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरी0 श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा मय टीम।